नई फार्मास्युटिकल नीति से स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

उप्र. फार्मास्युटिकल उद्योग (द्वितीय संशोधन) नीति 2021 की अधिसूचना जारी

लखनऊ। प्रदेश में नई फार्मास्युटिकल उद्योग (द्वितीय संशोधन) नीति 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में नवाचार हो सकेगा और प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना एवं विकास को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बताया कि नई नीति से अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना को बढ़ावा मिलने के साथ ही कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। नीति में ऐसी सुविधाओं का प्रावधान है जिससे विश्व स्तरीय संस्थान यहां निवेश के लिए आएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। आयुष से जुड़े उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए जाने वाले पार्क में कॉमन टेस्टिंग लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, पावर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इनक्यूबेटर भी स्थापित करेगी। इसके लिए एफएसडीए नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करेगा। ब्यूरो